



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1315]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 25, 2010/आषाढ़ 4, 1932

No. 1315]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 25, 2010/ASADHA 4, 1932

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून, 2010

का.आ. 1548(अ).—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 637 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 235 या धारा 237 के अधीन किसी कम्पनी के मामले के अन्वेषण को निरीक्षक के रूप में गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय के अधिकारियों को केन्द्रीय सरकार द्वारा केवल उन मामलों के संबंध में निदेशक गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय को, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 240 की उप-धारा (1) के खंड (क), धारा 240 की उप-धारा (1क), धारा 240 की उप-धारा (2) के खंड (ख) और धारा 240 की उप-धारा (3) के अधीन शक्तियां प्रत्यायोजित करती है।

[फा. सं. 3/1/2010-सीएल-V]

रेणुका कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June, 2010

S.O. 1548(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 637 of the Companies Act, 1956, the Central Government hereby delegates its powers under clause (a) of sub-section (1) of Section 240, sub-section (1A) of Section 240, clause (b) of sub-section (2) of Section 240 and sub-section (3) of Section 240 of the Companies Act, 1956, to the Director, Serious Fraud Investigation Office only in respect of those cases wherein the Central Government appoints officers of Serious Fraud Investigation Office as inspectors, to investigate into the affairs of a company under section 235 or section 237 of the Companies Act, 1956.

[F. No. 3/1/2010-CL.V]

RENUKA KUMAR, Jt. Secy.